विधान सभा सचिवालय
मध्यप्रदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के तहत मैन्युअल
(16 नवंबर, 2022 की स्थिति में)

पृष्ठभूमि-

15 अगस्त, 1947 के पूर्व देश में कई छोटी-बड़ी रियासतें एवं देशी राज्य अस्तित्व में थे। स्वाधीनता पश्चात् उन्हें स्वतंत्र भारत में विलीन और एकीकृत किया गया। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के बाद देश में सन् 1952 में पहले आम चुनाव हुए, जिसके कारण संसद एवं विधानमण्डल कार्यशील हुए। सन् 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 01 नवंबर, 1956 को नया राज्य मध्यप्रदेश अस्तित्व में आया। इसके घटक राज्य मध्यप्रदेश, मध्यभारत, विन्ध्य प्रदेश एवं भोपाल थे, जिनकी अपनी विधान सभाएं थीं। पुनर्गठन के फलस्वरूप सभी चारों विधान सभाएं एक विधान सभा में समाहित हो गईं। अन्ततः 01 नवंबर, 1956 को पहली मध्यप्रदेश विधान सभा अस्तित्व में आई, जिसका पहला और अंतिम अधिवेशन 17 दिसम्बर, 1956 से 17 जनवरी, 1957 के बीच संपन्न हुआ।

वर्तमान महाकौशल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बरार क्षेत्र को मिलाकर सेन्ट्रल प्राविन्सेस एण्ड बरार नामक राज्य अस्तित्व में था। राज्य पुनर्गठन के बाद महाकौशल और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र यानी पूर्व मध्यप्रदेश (जिसे सेन्ट्रल प्राविन्सेस कहा जाता था) मध्यप्रदेश का भाग बना। तद्नुसार उस क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्रों को भी मध्यप्रदेश के विधान सभा क्षेत्रों में शामिल किया गया। इस प्रकार मध्यभारत, विंध्यप्रदेश, भोपाल और सी.पी.एंड बरार राज्य की विधान सभाओं का एकीकरण मध्यप्रदेश विधान सभा के रूप में हुआ. मध्यप्रदेश की इस विधान सभा में विंध्यप्रदेश विधान सभा के 60, भोपाल विधान सभा के 30, मध्यभारत विधान सभा के 99 और सी.पी.एंड बरार (पुराना मध्यप्रदेश) विधान सभा के 150 सदस्यों को मिलाकर एकीकृत विधानसभा सदस्यों की संख्या 339 थी.

प्रथम विधान सभा से वर्तमान विधान सभाओं के गठन और उनका कार्यकाल निम्नानुसार है:-

विधान सभा	गठन दिनांक	विघटन दिनांक
प्रथम विधान सभा	01.11.1956	05.03.1957
द्वितीय विधान सभा	01.04.1957	07.03.1962
तृतीय विधान सभा	07.03.1962	01.03.1967
चतुर्थ विधान सभा	01.03.1967	17.03.1972
पंचम् विधान सभा	17.03.1972	30.04.1977
षष्टम् विधान सभा	23.06.1977	17.02.1980
सप्तम् विधान सभा	09.06.1980	10.03.1985
अष्टम् विधान सभा	10.03.1985	03.03.1990
नवम् विधान सभा	05.03.1990	15.12.1992
दशम् विधान सभा	07.12.1993	01.12.1998
एकादश विधान सभा	01.12.1998	05.12.2003
द्वादश विधान सभा	05.12.2003	11.12.2008
त्रयोदश विधान सभा	11.12.2008	10.12.2013
चतुर्दश विधानसभा	10.12.2013	13.12.2018
पंचदश विधानसभा	13.12.2018	

विधान सभा भवन-

भोपाल रियासत की सुल्तान जहां बेगम द्वारा बनवाई गई नायाब इमारत जिसका नाम मिंटो हाल रखा गया था, उसे विधान सभा भवन के लिये चुना गया और दिनांक 01 नवम्बर, 1956 से मिंटो हाल, विधान सभा भवन के रूप में परिवर्तित हुआ, तब से लेकर अगस्त, 1996 तक मिंटो हाल, विधान सभा भवन के रूप में मध्यप्रदेश की चालीस वर्ष की संसदीय यात्रा का हमकदम और मध्यप्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास का साक्षी बना रहा।

अंग्रेजी राज, नवाबी हुकूमत के दौर और बाद में लोकतंत्रीय शासन के साक्षी मिंटो हॉल की कहानी 12 नवम्बर, 1909 से शुरू होती है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो इस दिन अपनी पत्नी के साथ भोपाल आए। भोपाल की शासक नवाब सुल्तान जहां बेगम को यह कमी महसूस हुई कि लॉर्ड मिंटो को ठहराने के लिए भोपाल में कोई अच्छा भवन नहीं था। उन्होंने तुरत-फुरत एक नायाब इमारत बनवाने का फैसला किया। इस भवन की लागत आई 03 लाख रूपये, लेकिन इसको बनाने में बहुत लम्बा वक्त लगा, करीब 24 साल. इस नयी इमारत का नाम मिंटो हॉल रखा गया। अतिथि गृह के रूप में मिंटो हॉल का इस्तेमाल बहुत कम ही हो पाया। इस इमारत के भव्य हॉल में नवाबी घरानों के लड़के-लड़कियां स्केटिंग सीखते रहे। सन् 1946 में इसमें इंटर कॉलेज की स्थापना हुई जो बाद में हमीदिया कॉलेज के रूप में जाना गया। हमीदिया कॉलेज इस इमारत में 1956 तक लगता रहा। दिनांक 01 नवम्बर, 1956 से अगस्त, 1996 तक यह विधान सभा भवन के रूप में उपयोग में लाया जाता रहा।

विधान सभा के कामकाज की बढ़ती जरूरतों के मद्देनजर मूल मिंटो हॉल में इमारतों के नये खण्ड जोड़ना पड़े। सन् 1980 तक यह महसूस किया जाने लगा था कि विधान सभा से जुड़े कामकाज के फैलाव को देखते हुए विधान सभा के लिए एक ऐसी इमारत की जरूरत है जिसमें सभी सहूलियतें तथा पर्याप्त जगह हो। दिनांक 14 मार्च, 1981 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष, श्री बलराम जाखड़ के हाथों नये विधान सभा भवन का शिलान्यास सम्पन्न हुआ। अरेरा पहाड़ी पर बिड़ला मंदिर और राज्य मंत्रालय के बीच 17 सितम्बर, 1984 को इस नये भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ। वर्ष 1994 के अन्त में तत्कालीन सरकार ने इस काम में तेजी लाने के लिए एक साधिकार समिति का गठन किया और उसे यह काम 18 महीने में पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी। साधिकार समिति ने निर्माण में आ रही सभी रूकावटों को दूर करते हुए समय-सीमा के भीतर नये भवन का निर्माण कार्य पूरा कराया। भवन की प्रारंभिक लागत 10 करोड़ रूपये अनुमानित थी, लेकिन 12 वर्षों में बनते-बनते इसमें आंतरिक साज- सज्जा, फर्नीचर, आधुनिक साउण्ड सिस्टम, वातानुकूलन, आधुनिक कैफेटेरिया एवं बगीचों का निर्माण व अन्य सुविधाओं को शामिल करने से इसकी लागत लगभग 54 करोड़ रूपये हो गई।

इस नए विधान सभा भवन का उद्घाटन दिनांक 03 अगस्त, 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा के कर कमलों से हुआ। भवन का नाम इंदिरा गांधी विधान भवन रखा गया है। इस भवन का डिजाइन विख्यात वास्तुविद् चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया है। पूरा भवन वृत्ताकार है जिसका व्यास 140 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 573.25 मीटर है। इसमें केन्द्रीय वातानुकूलन की व्यवस्था है.

विधान भवन को 06 सेक्टरों में बांटा गया है। भवन में विधान सभा के साथ-साथ विधान परिषद् के लिए हॉल बनाया गया है। यह हॉल सेक्टर 01 में स्थित है जिसमें लगभग 90 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। इसमें अधिकारी दीर्घा, पत्रकार दीर्घा व दर्शक दीर्घाओं का प्रावधान है। परिषद् का आकार वर्गाकार है। हॉल की ऊंचाई 20 मीटर है। इसकी छत स्पेस ट्रस की है। इसमें प्राकृतिक रोशनी आने की व्यवस्था है। इसका फर्नीचर "सडार वुड" का है। मध्यप्रदेश में द्वितीय सदन की संवैधानिक व्यवस्था नहीं होने के कारण वर्तमान में इस हॉल का उपयोग सेमीनार एवं प्रशिक्षण हेतु किया जा रहा है। इसके प्रवेश द्वार पर "जीवन वृक्ष" नामक एक विशाल पेंटिंग है जिसमें प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाया गया है। सेक्टर 01 में ही समिति कक्ष-02 (अजन्ता), दलीय कार्यालय व माननीय नेता प्रतिपक्ष के कक्ष हैं। द्वितीय तल पर सचिवालय की शाखाएं लगती हैं।

विधान परिषद् के ठीक सामने विधान सभा हॉल सेक्टर 02 में सांची द्वार स्थित है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार सांची द्वार की तरह है। इस पर कोलाज का कार्य किया गया है। सभागृह की छत के गुंबद का व्यास 31 मीटर, ऊंचाई लगभग 26 मीटर है। गुंबद में प्राकृतिक रोशनी आने की व्यवस्था है। इसमें अधिकारी दीर्घा एवं अध्यक्षीय दीर्घा भू-तल पर है। सदन से लगी हुई माननीय सदस्यों के लिए एक खूबसूरत लॉबी है जिसमें से पांच प्रवेश द्वार सदन में जाने के लिए हैं। एक छोटा सा

कैफेटेरिया भी है। ऊपर की मंजिल में आठ दीर्घाएं हैं। इनमें दो पत्रकारों के लिए पत्रकार दीर्घा, दो सामान्य दीर्घा, एक राज्यपाल दीर्घा, एक अध्यक्षीय दीर्घा, एक महिला दीर्घा, एक प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा है। सभी दीर्घाओं में प्राकृतिक रोशनी आने की व्यवस्था है। सभावेश्म में आधुनिक श्रवण एवं इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली लगी है। सभा के हॉल में 366 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था थी। सन् 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद वर्तमान में 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। वर्तमान 230 निर्वाचित सदस्य सदन में बैठते हैं। सभा हॉल के समीप ही माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष व प्रमुख सचिव विधान सभा के कक्ष हैं। इमारत के मध्य में सेक्टर 04 में दस हजार वर्गफीट क्षेत्रफल का 11 मीटर ऊंचा एक विशाल केन्द्रीय कक्ष है। यह भवन का केन्द्र बिन्दु है और यह केन्द्रीय कक्ष भवन को चारों दिशाओं से जोड़ता है। इसमें प्राकृतिक रोशनी आने की उत्तम व्यवस्था है। केन्द्रीय कक्ष से लगा हुआ बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे आरक्षण कक्ष, होम्योपैथी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं। ऐलोपैथिक चिकित्सालय मुख्य भवन के बाहर स्थित है।

विधान भवन के सेक्टर 05 में विधान सभा का वृहद् पुस्तकालय है जिसमें लगभग 01 लाख 82 हजार पुस्तकें तथा विभिन्न साहित्य संग्रहित है। पुस्तकालय के गांधी-नेहरू कक्ष में महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू की लिखी तथा इन पर लिखी गई विभिन्न लेखकों की पुस्तकें तथा साहित्य संग्रहित है। प्रथम तल पर माननीय सदस्यों के लिए वाचन/अध्ययन कक्ष की व्यवस्था है।

सेक्टर 06 में एक सभागार भी है जिसमें 600 लोग बैठ सकते हैं। इस सभागार में आधुनिक साउण्ड सिस्टम लगा हुआ है। विशिष्ट आगन्तुकों के सभागार में प्रवेश के लिए अलग से प्रवेश द्वार है।

सेक्टर 03 में मुख्यमंत्री कक्ष है। भू-तल व प्रथम तल पर मंत्री कक्ष, द्वितीय तल पर विधान सभा अधिकारियों के कक्ष व तीन समिति कक्ष हैं। इसी सेक्टर के कोर्ट यार्ड के मध्य में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तम्भ है जो कांसे का बना है, जिसका वजन दो टन व ऊंचाई 12 फीट है।

इस भवन में मंत्रियों के लिए 57 कक्ष हैं। 07 बड़े व 07 छोटे समिति कक्ष हैं। इसी भवन में 300 कक्ष हैं जिनमें 350 दरवाजे और 1000 खिड़कियां हैं। भवन में 60 प्रसाधन कक्ष हैं। भवन के निर्माण में 26 लाख ईंट, 02 लाख 06 हजार बोरी सीमेन्ट और 01 हजार 650 टन लोहे का प्रयोग हुआ है।

भवन के पश्चिमी द्वार पर कैफेटेरिया स्थित है। इसमें आधुनिक किचन मशीनें लगाई गई हैं। इसकी छत (टेरेस) से भोपाल का विहंगम दृश्य बहुत ही मनोहारी दिखाई देता है। भोपाल के दोनों प्रसिद्ध ताल यहां से एक साथ दिखाई देते हैं।

भवन के रूपाकार को दिशा देने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं अरेरा पहाड़ी के शीर्ष पर इसका स्थान जिसके न्यूनतम एवं उच्चतम लेबल में 11 मीटर का अन्तर है जिसे इस कुशलता के साथ समायोजित किया गया है कि भवन के अन्दर भ्रमण करने के बाद भी इसका अहसास नहीं होता। भोपाल की मस्जिदें और भोपाल के निकट सांची का स्तूप, इन कारणों के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण कारक जिसने इसे आकार दिया

वह था "मंडल" यह भारतीय मानस की वह ब्रह्माण्डीय अवधारणा है जिसमें क्रिया, कार्य और अंतरिक्ष समाहित है।

भवन अपने संयोजन के स्थान के भीतर संजोये आकाश की तरह है। मंडल की ही तरह इसके नौ घटक हैं ये सभी एक केन्द्र के इर्द-गिर्द रचे गए हैं. केन्द्र से निकलने वाली दो धुरियों पर प्रशासनिक कार्यालय हैं और चारों कोनों पर विधान परिषद्, विधान सभा, सभागार और ग्रंथागार स्थित हैं। इस भवन की वास्तुकला भारतीय संस्कृति की परम्पराओं एवं आधुनिक तकनीक का सुन्दर समन्वय है। इस भवन में प्रवेश हेतु सात द्वार हैं। भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर कुंड की संरचना निर्मित है जो विधान सभा में होने वाले लोकतंत्र के यज्ञ को आभासित करती है। कुंड के पास की भित्तियों पर लोक कलाकारों द्वारा सुन्दर चित्र बनाए गए हैं। इसी के पास प्रदेश का एक जलीय नक्शा निर्मित किया गया है जिसमें 36 फीट लम्बी एवं 06 फीट ऊंची तथा 36 टन वजनी ग्रेनाइट में बनी मूर्ति स्थापित है। भवन में जगह-जगह पर ख्यातिनाम चित्रकारों की पेंटिग्स एवं पत्थर शिल्प रखे गए हैं जो भवन की सुन्दरता बढ़ाने में सहायक हैं। भवन को वास्तुकला के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध आगा खां अवार्ड भी मिल चुका है।

भवन के बाहर 25 एकड़ में विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के अतिरिक्त आम के 500 वृक्षों का बगीचा है। इसके साथ ही एक पक्षी विहार भी बनाया गया है। यह पक्षी विहार विधान सभा भवन के नवनिर्मित पूर्वीद्वार के सम्मुख बना है। स्थिति की दृष्टि से यह विधान भवन और मंत्रालय के मध्य अवस्थित है। लगभग 04 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले इस विहार में 06 प्राकृतिक पोखर हैं। इस विहार में मूलत: फायकस प्रजाति के वृक्ष हैं। इसमें बांस (ड्रॉफ्ट प्रजाति) के वृक्ष भी हैं जो ऊंचाई के मान से बांस की छोटी प्रजाति है। इस विहार के पोखरों के आस-पास सजावटी और मौसमी फूलों के पौधे लगाये गये हैं।

बिन्दु क्र. 01. विधानसभा का गठन, कार्यकाल, विधायी एवं वित्तीय शक्तियॉं-

लोकतंत्र को परवान चढ़ाने, जनता की आवाज बनने और प्रदेश को विकास की ऊंचाईयों तक ले जाने में मध्यप्रदेश विधान सभा की विशिष्ट भूमिका रही है। इस विधान सभा ने विगत कालखण्ड में विभिन्न कानूनों, संसदीय प्रक्रियाओं तथा संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा समाज के हर स्तर के लोगों को और प्रदेश के प्रत्येक कोने को स्पर्श किया है। इस विधान सभा ने सरकारों को बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय के मंत्र पर चलने के लिए प्रेरित किया है तथा जन-उपयोगी नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए निर्देशित भी किया है। जनता के दुख-दर्दों, कष्टों और समस्याओं को न केवल यहां शब्द मिले हैं अपितु उन्हें दूर करने के लिए सार्थक उपाय भी सुझाये गये हैं।